Gyanvividha, Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025 : PP-243-248

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025
Page No.-243-248
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com
Author's :

राहुल पटेल
शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय.

Corresponding Author :

राहुल पटेल
शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय.

नई कहानी में मानवाधिकार चेतना (अमरकांत, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश के संदर्भ में)

शोध सार:- मानवाधिकार का अर्थ है वह स्वतंत्रता, समानता, सम्मान और सुरक्षा जो मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए प्राकृतिक रूप से स्वतः मिलते हैं। मानवाधिकार को यदि हम बांटे तो मानव और अधिकार दो शब्द मिलते है, जिसका अर्थ होता है- मानव को मिलने वाला अधिकार। मानव के अधिकार से आशय है कि मानव को जीवन यापन के लिए मिलने वाली स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सुरक्षा।[1] यह एक ऐसी अवधारणा है जो आधुनिक सभ्यता में काफी महत्वपूर्ण है। यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास के आरंभ से ही किसी न किसी रूप मिलती आ रही है। मनुष्य को एक गरिमामय जीवन यापन के लिए, बिना किसी शोषण, बिना किसी अधिकार हनन के, बिना किसी असमानता के मिलने वाले अधिकार को ही मानवाधिकार की संज्ञा दी जाती है।

साहित्य को हमेशा से ही समाज का दर्पण कहा जाता रहा है, यानी समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, उसे साहित्यकारों ने हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में कहानी विधा के अंतर्गत अनेक कहानीकारों ने अपनी कहानी के माध्यम से समाज में मानवाधिकार के हनन को दिखाने का प्रयास किया तथा लोगों को जागरुक किया। उन्होंने मानवाधिकार हनन को सामाजिक- सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वर्गीकृत करके दिखाया है जैसे- जातीय भेदभाव और वर्गीय विषमता, स्त्री अधिकार और लैंगिक असमानता, अल्पसंख्यक और आदिवासी जीवन, श्रमिक और आर्थिक असमानता।

अमरकांत ने अपनी कहानी, जिंदगी और जोंक में मजदूर वर्ग के शोषण की कथा बताई तथा डिप्टी कलेक्टर में नायक की नैतिक विडंबना, सत्ता और मूल्य संकट के बीच इंसान के अस्मिता की लड़ाई है।

अमरकांत के अलावा कमलेश्वर, भीष्म साहनी, रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह जैसे कहानीकारों ने अपनी कहानियों में इन सारे मानवाधिकार हनन को दिखाने का प्रयास किया है।

बीज शब्दः- मानवाधिकार, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन, सम्मान, असमानता।

भूमिकाः- प्राचीनकाल से ही मानवाधिकार का एक विस्तृत और वृहद इतिहास रहा है। व्यक्ति से समाज तथा समाज से राष्ट्र बनता है। मानवाधिकार के सृजन का आधार यही समाज होता है। समाज में रहनेवाले हर प्राणी को जीवन जीने का आधिकार है और हर प्राणी का यह कर्तव्य भी है कि वह किसी भी प्राणी के जीवन में कोई बाधा उत्पन न करें। मानवाधिकार का प्रारंभिक स्वरुप इसे ही कहते हैं।

वे अधिकार जो मानव को मनुष्य होने के नाते स्वतः ही मिल जाता है, उसे मानवाधिकार कहते है। मानवाधिकार का मूल उद्देश्य यह होता है मनुष्य को एक सम्मानजनक, गरिमामय जीवन जीने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण तैयार करना। मानवाधिकार की अवधारणा को ब्रिटेन में हुई क्रांति में 'बिल ऑफ राइट्स' के द्वारा व्यक्ति के मौलिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। भारत ने आजादी के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।[2] भारत के संविधान के अंतर्गत इन्हे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रहा गया है यानी भारत में मानवाधिकार जन्म के साथ साथ कानूनी रुप से भी मिले आधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, बोलने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जबरदस्ती श्रम लेने से रोक, धर्म की स्वतंत्रता आदि अधिकार आते है। इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।[3]

साहित्य का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि समाज में जो चल रहा है ,उसे दुनिया के सामने लाना तथा वंचितों की आवाज को उठाना इसलिए साहित्य में मानवाधिकार का विमर्श एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। इसका आधार केवल कानूनी या राजनीतिक ही नहीं होता बल्कि वह मानवीय संवेदना का एक सौंदर्यशास्त्र है। मनुष्य के इन मूलभूत अधिकारों के हनन का वर्णन साहित्य में बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णित होता रहा है। साहित्य के हर विधा में इसको उजागर किया जाता रहा है।

हिंदी कहानी का क्षेत्र भी इसके वर्णन या प्रस्तुति का माध्यम बना। हिंदी कहानी इस दृष्टि से अत्यंत सशक्त माध्यम रही, जिसमें शोषण, उत्पीड़न, वंचना और प्रतिरोध की कहानियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना का दस्तावेज बनीं।

हिंदी कहानी में मानवाधिकार विमर्श का विकासः- वैसे तो कहानियाँ किसी न किसी रूप में हमेशा से ही विद्यमान रही है ,कभी किस्से के रूप में तो कभी जातक कथाओं के रूप में परन्तु हिंदी कहानी का व्यवस्थित आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है, लेकिन प्रेमचंद जी के आगमन से ही हिंदी कहानी, प्रौढता का स्तर प्राप्त करती है। शुरु से ही हिंदी कहानियों में सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय अधिकारों का प्रश्न जुड़ा रहा है। औपनिवेशिक काल में 'स्वतंत्रता और दमन से मुक्ति का अधिकार' मुख्य विषय रहा है। भारतेन्दु युग से लेकर प्रेमचंद युग तक कहानियों में मानवाधिकार का प्रमुख स्वर 'राष्ट्रीय मुक्ति' और 'सामाजिक समानता" के रूप में मिलता है। प्रेमचंद को वह प्रवक्ता कहा जाता है जिन्होने मानवाधिकार चेतना की आवाज को सबसे पहले उठाया। उन्होने अपनी कहानियों में गरीब, किसान, स्त्री, दलित आदि वर्गों के अधिकारों की आवाज को उठाया। 'सद्गति', में जातिगत उत्पीड़न, 'कफन', में दरिद्रय और असमानता, 'पंच परमेश्वर' में न्याय और निष्पक्षता के मानवीय मूल्य के विघटन का दस्तावेज कहलाता है।

प्रगतिवाद में आते-आते मानवाधिकार का स्वरूप वर्ग संघर्ष, समानता और श्रमिक अधिकार से जुड़ गया। अमृतलाल नागर, यशपाल, भीष्म साहनी आदि ने शोषण, अपमान, स्त्री स्वतंत्रता और सांप्रदायिकता के रूप में मानवाधिकार का चित्रण किया।

नई कहानी में मनुष्य के अस्तित्व, स्वतंत्रता और मानसिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है।आगे हम इसी आंदोलन के कुछ कहानीकारों के कहानी में मानवाधिकार की चर्चा करेंगे।

अमरकांत नई कहानी के एक प्रतिष्ठित कहानीकार है। इन्होने अपनी कहानियों में सामाजिक और सांस्कृतिक, यहां तक कि आर्थिक पक्ष के मानवाधिकार को भी बखूबी वर्णित किया है। उन्होंने ऐसे मानवाधिकार पक्ष रखे हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करता है। इनकी कहानियों में मनुष्य कैसे सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता और जीवन की गरिमा के लिए संघर्ष करता है? इसको केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। 'डिप्टी कलेक्टर', 'जिंदगी और जोंक', 'दोपहर का भोजन' नामक कहानी में इसका प्रखर रूप देखने को मिलता है।

जिंदगी और जोंक कहानी में मजदूर वर्ग के शोषण की कहानी है,जो एक मनुष्य को उसके जीने के अधिकार से सीधी तरह जुड़ी है। कहानी का मुख्य पात्र रजुवा है जो एक गरीब और लाचार व्यक्ति है। रजुवा के जीवन की एक गरिमा है जिसे वह कभी भी दांव पर नहीं लगाता। वह कभी भी भीख नहीं मांगता था बल्कि वह कुछ न कुछ काम करके ही लोगों से पैसे या खाने के लिए लेता था। परंतु मोहल्ले के लोगों ने उसके इसी स्वभाव का फायदा उठाकर उसे अपना नौकर मानने लगे थे, लेकिन उसे कभी स्थायी रूप से अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखते थे, क्योंकि नौकरी पर रखने से उन्हें एक निश्चित राशि देनी पड़ेगी और रजुवा इतना शक्तिशाली भी नहीं की वो बड़े काम कर सके। नीचे की पंक्ति के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं - " **उसकी सेवाओं का उपयोग - संबंधी खींचातानी से उसका सामाजीकरण हो गया। मुहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे दो चार रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शाक्तिशाली कतई नहीं था कि चौबीस घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियाँ संभाल सके।"**[4]

इस कहानी में हम देखते है कि किस प्रकार रजुवा को शोषित किया जाता है, जब तक वह काम करने में सक्षम था, सभी ने उससे काम लिया और बदले में उसे औने-पौने भर रुपए या घरों का बचा हुआ बासी खाना दे देते थे। मोहल्ले के सभी व्यक्ति उस पर अधिकार जताते थे, किंतु जब वह बीमार हुआ तो सभी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। यह कहानी एक व्यक्ति के शोषण पर आधारित है जो कि मनुष्य के गरिमामय जीवन की धज्जियां उड़ा देता है।

इसी तरह अमरकांत की कहानी 'डिप्टी कलेक्टर' भी है जो मानवाधिकार के समान अवसर, आर्थिक न्याय और गरिमामय जीवन के प्रश्न को व्यक्त करता है। कहानी के शुरुआत में ही शिक्षा और अवसर की असमानता का वर्णन किया गया है। शिवनाथ जो एक मध्यमवर्गीय परिवार का बेटा है, वह योग्य होते हुए भी अभी तक बेरोजगार है। नौकरी पाने के लिए उसे व्यवस्था में व्याप्त सिफारिश, भ्रष्टाचार और झूठ के रास्ते से गुजरना पड़ता लेकिन मध्यम परिवार से आने के कारण उसे इस अवसर से हाथ धोना पड़ता है।

कहा जाता है कि मानवीय गरिमा तो हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता हैं, परंतु शिवनाथ की गरीबी और बेरोजगारी ने उसको समाज में हीन बना दिया है। अपनी गरिमापूर्ण जीवन को पाने के लिए उसे डिप्टी कलेक्टर बनना ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है- **"शिवनाथ को लगता था कि जब वह डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, तब सब लोग उसका सम्मान करेंगे - जैसे सम्मान किसी पद में होता है, व्यक्ति में नहीं।"**[5]

यह कथन यह प्रदर्शित करता है कि किसी व्याक्ति की गरिमा समाजिक होती है, मानवीय नहीं और यही गरिमा का हनन है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब समाज में किसी की हैसियत पद या पैसे से तय होती है, तब मानवाधिकार केवल संविधान की किताबों में दब कर रह जाते हैं।

अमरकांत की कहानी 'डिप्टी कलेक्टर' में गरिमापूर्ण जीवन के अलावा आर्थिक न्याय के अधिकार का भी हनन दिखाया गया है। शिवनाथ जो बेरोजगारी के इस भीषण जंगल में भटक रहा है, वह रोजगार की तलाश में मारा फिर रहा है और संघर्ष कर रहा है। आर्थिक अभाव के कारण वह अपने कोचिंग की फीस भी नहीं जमा कर पा रहा था और

घर की स्थिति देखते हुए अपने पिता से पैसे भी माँग नहीं सकता था किंतु उसके पिता ने बिना उसके संज्ञान के पैसे उधार लेकर उसकी फीस जमा करवाते हैं, यहाँ तक कि वे खुद या परिवार के अन्य सदस्यों को अभाव में रखकर शिवनाथ की पढ़ाई में सहायक हर वस्तु और खाने पीने की व्यवस्था करते थे। शिवनाथ बेरोजगार था इसलिए उसे समाज के तंज झेलने पड़ते थे। गरीबी के कारण वह आर्थिक शोषण और मानसिक अपमान झेलने को मजबूर था ।

रोजगार न होने पर पिता की झुंझलाहट और समाज की व्यंग्यभरी निगाहें उसे भीतर से तोड़ देती थी जो संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार जीवन के अधिकार में रोजगार और सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार का हनन था।

मोहन राकेश भी नई कहानी के एक सफल कहानीकार हैं। उन्होंने हिंदी कहानी में मनुष्य के भीतर की बेचैनी और बाहरी सामाजिक संरचना के बीच के संघर्ष को विषय बनाकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण दिया। मानवाधिकार दृष्टि से देखें तो स्वतंत्र अस्तित्व, समानता और आत्मसम्मान से लड़ते पात्रों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। राकेश जी अपनी कहानियों के माध्यम से एक सवाल समाज के सामने खड़ा करते हैं कि क्या आधुनिक समाज में व्यक्ति को अपने विचार, संबंध और आस्तित्व पर अधिकार है?

मोहन राकेश की कहानियों में हम देखें तो मानवाधिकार के ऐसे रुप देखने को मिलते हैं जो आज आधुनिक समय में प्रचलित होते हुए भी गुमनाम ही रहते हैं। उनकी कहानियाँ जैसे 'मिस पाल', 'एक और जिंदगी', 'और अंत में प्रार्थना' में मानवाधिकार के अनेक विषय देखने को मिलते हैं।

'मिस पाल', कहानी स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के आधिकार की कहानी है। मिस पाल एक पढ़ी लिखी और जागरुक महिला हैं। उनकी स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान ही वह कारण बना जिससे वे अपने परिवार के पितृसत्तात्मक ढाँचे में फिट नहीं बैठ सकी। उनकी संगीत और पेंटिंग में रुचि थी, जो उनके माता - पिता को विल्कुल भी पसंद नहीं था। वे हमेशा उसे डॉटते रहते थे । मिस पॉल को माता-पिता से बचपन से ही प्यार नहीं मिला, जो उनके अकेलेपन का कारण बना। मिस पॉल इस पुरुषसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक अपेक्षाओं को नकार देती है। वह कहती है- **"मैं किसी की छाया नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ।"**[6]

यह पंक्ति यह दर्शाती है कि मिस पाल अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती है क्योंकि वे किसी से बंधकर नहीं रहना चाहती। वे अपनी स्वतंत्र अस्तित्व के अधिकार की घोषणा करती नजर आती हैं। यह कहानी मानवाधिकार के 'सम्मानपूर्वक जीवन' के अधिकार को चकनाचूर करता नजर आता है। मिस पाल एक मोटी और छोटी कद की लड़की हैं। उनके छोटे-छोटे बाल रखने और शरीर की बनावट के कारण पुरुष जैसा दिखती थी। उसके आफिस में लोग उनके शरीर पर व्यंग्य करके उनका मजाक बनाते है। वे इन व्यंग्य से इस कदर टूट जाती थी कि वे आफिस में किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना पाती और अकेली रह जाती है।

"क्या बात है मिस पाल आज रंग बहुत निखर रहा है।

दूसरी तरफ से जोरावरसिंह बात जोड़ देता है - - आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं।"[7]

इस तरह के व्यंग्य के कारण ही वह अपनी नौकरी तक छोड़ देती है और कुल्लू के एक छोटे से गाँव में रहने लगती हैं। इस तरह न जाने कितने व्यंग्य, मिस पाल के ही नही बल्कि मानवाधिकार के 'गरिमापूर्ण जीवन' के अधिकार का हनन करता है।

मोहन राकेश की एक और और कहानी 'मलबे का मालिक' हैं जो अमानवीयता, व्यक्ति के विश्वास और गरिमा पर आघात को बहुत गहराई से उजागर करती है। 'गनी मियाँ' जो भारत-पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान रहने चले गए थे किंतु उनका बेटा चिरागदीन और उसकी पत्नी अपने परिवार सहित भारत में ही रहते थे। चिरागदीन को अपने मोहल्ले वाले हिंदु भाइयों पर बहुत विश्वास था । रक्खू पहलवान के रहते उसे कोई छू भी नहीं सकता ऐसा विश्वास था किंतु रक्खू ने उसके मकान को कब्जा लेने के इरादे से उसे मार दिया और उसके साथियों ने चिराग़दीन के परिवार को

भी मार दिया। इस तरह हम देखते है कैसे एक निर्दोष परिवार को बड़े ही अमानवीय तरीके से मार दिया जाता है, जो अमानवीयता को दर्शाता है।

गनी मियाँ के भारत वापस आने पर लोगों ने उसे यह भी नहीं बताया की किसने उसके परिवार की हत्या किसने की बल्कि उसे एक बच्चे चुरानेवाला मुसलमान समझ उससे दूर भागते रहे।

"गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था----- यह खबर मिलते ही जो स्त्रियाँ गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई, गली में खेल रहे बच्चों को भी पुकारकर घरों में बुला लिया।"[8]

इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह मनुष्य के विश्वास की हत्या की जाती है और व्यक्ति के प्रति एक घृणा का भाव पनप रहा है जो मनुष्य के गरिमामयी जीवन के अधिकार का हनन करता है।

भीष्म साहनी ऐसे कहानीकार है, जिन्होने मानवाधिकार के प्रश्नों पर बहुत ही जोर देकर अपने कथा-साहित्य का निर्माण किया। उन्होने समानता, न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा जैसे विषयों को अपने कहानियों के कथानक में केंद्र में रखा। साहनी जी विभाजन की त्रासदी के दृश्य के माध्यम से यह दिखाना चाहते की मनुष्य के मूलभूत अधिकार किस तरह प्रभावित हुए है और उसका सजीव चित्रण अपनी कथा साहित्य की यात्रा में करते हैं। उनकी कहानियां केवल संवेदात्मक प्रतिभूति नहीं बल्कि मानवाधिकार हनन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ की आलोचना भी है।

भीष्म साहनी की कहानी 'अमृतसर आ गया' में मानवाधिकार हनन के अनेक रूप दृष्टित होते हैं, जो बहुत ही अमानवीय और घृणित है। इस कहानी में जीवन और सुरक्षा का अधिकार, भयमुक्त जीवन के आधिकार, पहचान और अस्मिता के अधिकार, गरिमा और सम्मान के आधिकार, सांप्रदायिक घृणा से मुक्ति के अधिकार जैसे अनेक अधिकारों के हनन को दर्शाया गया है। जीवन और सुरक्षा के अधिकार की बात करें तो इस कहानी में जब सभी व्यक्ति ट्रेन की यात्रा कर रहें होते हैं तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जिस कारण सभी अपनी जान बचा कर भाग रहे होते हैं और सुरक्षा कारणों से जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते है किंतु ट्रेन में भीड़ होने के कारण अथवा अलग धर्म होने के कारण उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता और यदि कोई जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता तो उसे मार दिया जाता। पतले दुबले हिंदु व्यक्ति ने जब एक मुसलमान को ट्रेन में चढ़ते देखा तो वह आगबबूला हो गया लोहे की रॉड से बूढ़े पर वार करके मार डाला। तथा पठानों ने एक हिंदू परिवार को लात से मारकर ट्रेन से नीचे कर दिया। इस तरह हमें मनुष्य के जीवन और सुरक्षा के आधिकार का हनन इस कहानी में देखने को मिलता है। जो केवल अपनी जान बचाने के लिए यात्रा का रहे है, मानो जीवन का मूल्य कुछ रह ही न गया हो।

ट्रेन में भयपूर्ण यात्रा के दौरान गंदगी, गर्मी और प्यास से लोग आतंकित थे लेकिन ट्रेन से उतर नहीं सकते थे नहीं तो उन्हें दंगे की भेंट चढ़ना पड़ता। यह दृश्य मानवीय गरिमा का हनन कर बेबसी दिखाती है। यात्रा के दौरान लोग पशु की प्रवृति के हो गए थे उन्हे केवल अपने जीवन से मोह था बाकी मनुष्य से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसे एक उदाहरण से समझ सकते है-जब पठान उस औरत की छाती पर पैर मारता है तो ट्रेन में कोई भी उसका विरोध नहीं करता, सभी मौन मंडूक बने रहते हैं।

भीष्म साहनी की एक अन्य कहानी 'चीफ की दावत' श्रमिकों की स्थिति, वर्ग विभाजन, अमीर गरीब के अंतर और मानवीय गरिमा के हनन को उजागर करती है। शामनाथ अपने चीफ को किसी भी प्रकार से नाखुश नहीं करना चाहता है बल्कि वह इस तरह आतिथ्य सम्मान करना चाहता था कि बॉस खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दे लेकिन उसकी राह में उसकी माँ एक बाधा नजर आती है क्योंकि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका रहन सहन गांव वाला था इसलिए वह उन्हे एक बोझ समझता है और मां को छिपाने के लिए एक कमरे में बंद कर देता है, जो अमानवीयता और

गरिमापूर्ण जीवन का हनन दिखता है। जो मां अपने बेटे की तरक्की के लिए अपने सारे गहने बेच दिए वहीं बेटा उसे आज एक बोझ समझ रहा था। इसे हम इस कथन से समझ सकते है- **"और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना।"**[9]

कमलेश्वर नई कहानी के एक सशक्त कहानीकार हैं। कमलेश्वर की कहानी 'राजा निरबंसिया ' में सामाजिक, आर्थिक शोषण, मानवीय गरिमा का मजाक बनाया गया है। जगपति और उसकी पत्नी चंदा को मोहल्ले के लोग राजा निरबंसिया से तुलना करते है और उसके स्त्रीत्व का अपमान करते थे क्योंकि वह काफी समय तक मां नहीं सकी, अचानक वह गर्भवती होकर घर आती है तब जब जगपति हॉस्पिटल में था, इससे लोगो ने उसे बदचलन तक कहा । घर वापस आने पर उसे कुलटा कहा गया ।

"जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का, तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने बगले से देखा और वहीं से बैठे अपने घर के भीतर से ऐलान कर दिया --- राजा निरबंसिया अस्पताल से लौट आए- कुलमा भी आई है।"[10]

इस तरह जगपति और चंदा दोनों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। इससे हमें मानवाधिकार के हनन को देखने को मिलता है। इस कहानी में आर्थिक शोषण को भी दर्शाया गया है। बचनसिंह ने जगपति के इलाज और टाल लगाने के लिए पैसे देकर उसे जैसे खरीद लिया था। वह जगपति की पत्नी को अपनी जागीर समझने लगा था। वह हमेशा उसके घर आता रहता था। जगपति सब जानबूझकर भी अनजान बना रहता था क्योंकि वह उसके कर्ज में दबा हुआ था। इस प्रकार इस कहानी में हमें आर्थिक शोषण का भी स्वरुप प्रकट होता है जो मानवाधिकार के हनन का उदाहरण है।

निष्कर्ष :- इन सभी कहानीकारों के कहानी में केवल मानवाधिकार को कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि नैतिक और संवेदनात्मक आधिकार के रुप में देखा है। इन सभी ने मनुष्य को केन्द्र में रखकर उनके मौलिक अधिकारों के हनन को उजागर किया, चाहे वह सम्मान, स्वतंत्रता, समानता या फिर गरिमा की बात हो।

संदर्भ :

1. भारत में मानवाधिकार : समस्या एवं समाधान, सुरेन्द्र सिंह, कर्मवीर सिंह, Innovation the research concept, vol-2, Feb-2017, ISSN -24565474, पृष्ठ- 1.
2. समकालीन कथा साहित्य में मानवाधिकार, संरक्षण एवं उन्नयन , कुसुम सिंह, प्रतिमा सिंह, Aryavart shodh vikas patrika, vol-14, Issue-14, Dec-2019, ISSN -23472944. पृष्ठ -1.
3. समकालीन कथा साहित्य में मानवाधिकार, संरक्षण एवं उन्नयन , कुसुम सिंह, प्रतिमा सिंह, Aryavart shodh vikas patrika, vol-14, Issue-14, Dec-2019, ISSN -23472944. पृष्ठ -2.
4. एक दुनिया समानांतर, संपादक - राजेंद्र यादव , पृष्ठ -17.
5. प्रतिनिधि कहानियाँ, अमरकांत, राजकमल प्रकाशन, 2007, पृष्ठ – 7.
6. मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ, मोहन राकेश, राजपाल एंड संस, 2017, पृष्ठ – 11.
7. मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ, मोहन राकेश, राजपाल एंड संस, 2017, पृष्ठ – 245.
8. मेरी प्रिय कहानियाँ, भीष्म साहनी, राजपाल एंड संस, 2008, पृष्ठ – 53.
9. मेरी प्रिय कहानियाँ, भीष्म साहनी, राजपाल एंड संस, 2008, पृष्ठ – 13.
10. दस प्रतिनिधि कहानियाँ, कमलेश्वर, किताबघर, दिल्ली, 2007, पृष्ठ – 18.

•